PWD2-BUD/BUDD/1/2023-III-2-Public Works Department

I/178469/2023

ई0 पत्रावली संख्या–52991

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 29 दिसम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक- 3054 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित राजस्व पक्ष की सड़क सुरक्षा मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3539/54 बजट (सड़क सुरक्षा कार्य)/2023-24 दिनांक 18.12.2023 सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-I/126454/2023 दिनांक 31.05.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में सड़क सुरक्षा मद में कुल प्राविधानित कुल धनराशि ₹ 500.00 करोड़ में से अवमुक्ति हेतु अवशेष धनराशि ₹ 350.00 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में ₹150.00 करोड़ (रूपये एक सौ पचास करोड़ मात्र) की धनराशि, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-I/111469/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थान्तर्गत, व्यय हेतु, निम्न शर्तों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में कदापि नहीं किया जायेगा।

ii. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को कम करने का अधिकार नहीं देता है, जिसमें बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।

iii. उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, वितरण अधिकारी द्वारा बी.एम.-4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि.) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

iv. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

v. विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा की अनुरक्षण कार्यों हेतु अविलम्ब फील्ड अधिकारियों से औचित्यपूर्ण मांग/प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा प्रस्ताव की समीक्षा करने के उपरान्त कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। यदि सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित

I/178469/2023

करने की स्थिति में सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है और शासन के संज्ञान में धनराशि के अभाव में मार्ग अवरूद्ध होने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

vi. बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व पक्ष में बजट प्राविधान , अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका प्रमाणित विवरण शासन, वित्त अनुभाग-1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

vii. इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में शासन स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार राजस्व पक्ष के सुसंगत उप मानक मदों में आय-व्ययक के सापेक्ष ₹150.00 करोड़ (रूपये एक सौ पचास करोड़ मात्र) का बजट आवंटन वित्त विभाग द्वारा विभागीय अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत आपको आवंटित कोड सं0-4227 में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत 3054-सड़क तथा सेतु-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-05-सड़क सुरक्षा-0051-अनुरक्षण में उल्लिखित इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/111469/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Shyam Singh
Date: 29-12-2023 11:35:47

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साइबर ट्रेजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/178469/2023 आवंटन आई डी-S23120220051
अनुदान संख्या -022 आवंटन पत्र दिनांक-29-DEC-2023

लेखा शीर्षक 3054-सड़क तथा सेतु
03-राज्य राजमार्ग
337-सड़क निर्माण कार्य
05-सड़क सुरक्षा
00-ज
Voted

3	0	5	4	0	3	3	3	7	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
51-अनुरक्षण	1500000000	1500000000	0	3000000000
योग	1500000000	1500000000	0	3000000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,50,00,00,000 (Rupees One Hundred Fifty Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 20 /76 याता0'क'नियो0–1/2024 दिनांक– 09 .01.2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, सि0/रा0मा0 क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, (नोडल अधिकारी रोड़ सेफ्टी सेल), नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता..........................वृत्त लो0नि0वि0 ..../..........उत्तराखण्ड।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

9/1/2024
अधिशासी अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं
विभागाध्यक्ष (लो0नि0वि0) देहरादून